FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

प्रेमी पत्नी महीपाल वगैरा. **बनाम** विना पत्नी संतोष कुमार वगैरा.

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट **मु.नं.** 01/2026 **सन्**..........

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.01.2026	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादग्रस्त भूमि के संबंध में केवियट प्रार्थना–पत्र मय वकालतनामा पूर्व में पेश होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं केवियटकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधिवक्ता केवियटकर्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि में प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन करने से पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं केवियटकर्ता की बहस के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्ट्या अपूर्णनीय क्षति होने का प्रतीत होता है अतः नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 625 रकबा 44.0297 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 627 रकबा 29.4934 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को पाबंद किया जाता है। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने पर प्रार्थीगण को बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अधिवक्ता प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 09/02/26 को पेश हो। Satya.. सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	
09/2/26	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि. AD दि. 09/03/2026 को पेश हो। Satya.. सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	
09/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र वास्ते विड्रोल करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त प्रा.पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध आगे चलाना नहीं चाहते है। प्रार्थीगण नये तथ्यों के आधार पर पुनः प्रार्थना-पत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुवे उक्त प्रा.पत्र को विड्रो करना चाहता है। वकील प्रार्थीगण की इच्छा पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र जरिये विड्रो खारिज किया जाता है व पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। Satya.. सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	